न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा जिला–भीलवाडा
बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–8/2016

उनवान

1. श्रीमती श्यामु पत्नी मिठू तेली निवासी टौंकरवाड़ तहसील हुरड़ा

–अपीलार्थी

बनाम

1. पृथ्वीराज पिता जमना लाल तेली निवासी टौंकरवाड़ तहसील हुरड़ा
2. शिव पिता जमना लाल तेली निवासी टौंकरवाड़ तहसील हुरड़ा
3. अशोक पिजा जमना लाल तेली निवासी टौंकरवाड़ तहसील हुरड़ा
4. नानूडी पत्नी जमना लाल तेली निवासी टौंकरवाड़ तहसील हुरड़ा
5. शोभा पिता चून्नी लाल तेली निवासी टौंकरवाड़ तहसील हुरड़ा
6. मिठू पिता चून्नी लाल तेली निवासी टौंकरवाड़ तहसील हुरड़ा
7. महादेव पिता चून्नी (मृतक के स्थान पर)
   7/1 यजरंग लाल पिता महादेव तेली निवासी टौंकरवाड़ तह.हुरड़ा
   7/2 मु. देवी पुत्री महादेव पत्नी श्रवण तेली निवासी उंखलिया
   7/3 मु. लक्ष्मी पुत्री महादेव पत्नी सुरेश तेली निवासी हाजियास
8. सरपंच ग्राम पंचायत टौंकरवाड़ पंचायत समिति हुरड़ा

–रेस्पोडेंट

उपस्थित :– श्री रतन लाल वैष्णव, वकील अपीलार्थी

–:अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम:–
वसिलसिले नामान्तकरण संख्या–2095 दिनांक 05/06/2009
ग्राम पंचायत टौंकरवाड़

–:आदेश:–

दिनांक–25/05/2017

1. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि अधिनिस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण सं. 2095 दिनांक 05.06.2009 फेसल किया गया जो तथ्यों से परे होकर अवेधानिक है ।

2. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण सं. 2095 दिनांक 05.06.2009 फेसल करते समय विधिक प्रावधानो को नजरअन्दाज किया गया जिससे भी उक्त नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

3. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तकरण सं. 2095 फैसल करते समय आराजियात अपीलाधीन के . जायज केता य मालिकाना/अपीलान्ट से न तो पूछताछ की गई न ही अपीलान्टस को तलय किया गया एवं न ही समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया इस प्रकार से उक्त नामान्तकरण फैसल किये जाने की विधिक कार्यवाही अनदेखी कर जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा घोर अनियमितता की गई है जिससे उक्त नामान्तरण सं. 2095 दिनांक 05.06.2009 अपान्त किये जाने योग्य है ।

4. नामान्तकरण सं. 2095 आदेश दिनांक 05.06.2009 से श्रीमती छग्गू पत्नी चून्नी तेली निवासी टोंकरवाड के द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र के जरिये जो उप पंजियनक कार्यालय कमांक 834 दिनांक 29.05.2009 से पंजिवद्ध हुआ से अपीलान्ट की आराजी सं. 994 रकवा 18 वीघा 08 विस्वा मे उसका हिस्सा 1/2 नीहित था । जिसका 1/3 हिस्सा अर्थात आराजी खसरा नम्बर 994 के कुलिया रकवा 18 वीघा 08 विस्वा 1/6 हिस्सा विकय कर के मौके पर कब्जा अपीलान्ट का सम्भला दिया एवं विकेता श्रीमती छग्गू के द्वारा कब्जा कराने के वाद से अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है । जिसका नामान्तरण अधिनस्थ न्यायलय के द्वारा निर्णित किया जाकर आदेश पारित किया गया है जिसके अन्तर्गत आराजी नम्बर 994 रकवा 18 वीघा 08 बिस्वा से संवन्धित है जिसका 1/6 हिस्सा श्रीमती छग्गू पत्नी चून्नी लाल के हिस्से के 1/3 हिस्से एक मात्र अधिकारीणि अपीलार्थी होकर अपीलार्थी के कब्जे काश्त की होकर अपीलार्थी के हक अधिकार की है। इस प्रकार आराजी जैर वहस के 1/6 हिससे अर्थात श्रीमती छग्गू के हिस्से से 1/3 हिस्से पर अपीलार्थी का ही कब्जा काश्त होकर और किसी दिगर का अधिकार नही है ।

5. विकेता श्रीमती छग्गू का देहान्त सन 2011 मे हो गया है जिसका सजरा निम्न प्रकार से है ।

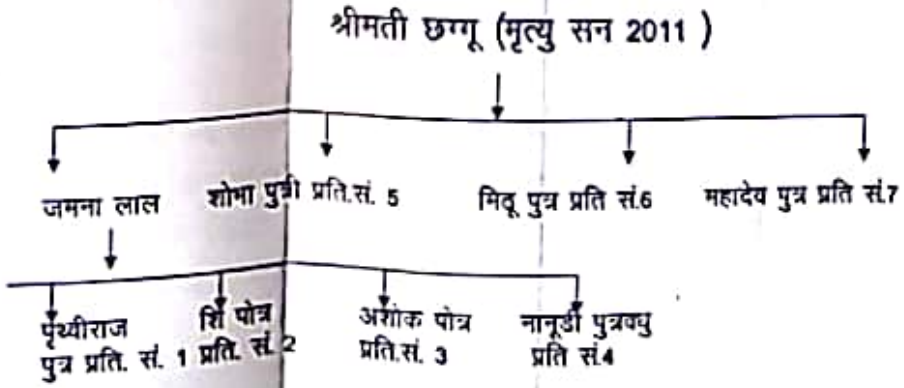

उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पेरा सं. 4 मे अंकित आराजी जैर वहस विकेता श्रीमती छग्गू के द्वारा अपनी अराजियात का हिस्सा 1/3

Scanned by CamScanner

अर्थात कुलिया आराजियात के रकबे का 1/6 हिस्सा अपीलान्ट का विक्रय कर दिया गया जिसके अनुसार हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण दाखिल किया गया एवं भू.अ. द्वारा रजिस्टर्ड खत/विक्रय पत्र के अवलोकन जांच के बाद पटवारी हल्का द्वारा दाखिल नामान्तकरण सही होने का अंकन जांच मे किये जाने के बाद भी तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये गलत एवं अवैधानिक रूप से विक्रेता छग्गू के बजाय अपीलान्ट के नाम आराजी जैर बहक खसरा नम्बर 994 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा का आधा 1/2 हिस्सा का 1/6 हिस्सा विक्रेता छग्गू के बजाय अपीलान्ट के बजाय विक्रेता छग्गू के बजाय अपीलान्ट के नाम अंकन की स्वीकृति का आदेश देकर गलत रूप से नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया । जबकि अपीलार्थी के द्वारा आराजियात खसरा नम्बर 994 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा के सम्पूर्ण रकबे का 1/6 हिस्सा अर्थात विक्रेता छग्गू का 1/3 हिस्सा क्रय किया था परन्तु गलत रूप से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर बहस का सम्पूर्ण रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा का 1/2 हिस्सा का 1/6 हिस्सा का गलत तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण फैसल किया गया है जो गलत है जबकि अपीलार्थी के द्वारा श्रीमती छग्गू से आराजी जेर बहस से कुलिया रकबा 1/6 अर्थात श्रीमती छग्गू के हिस्से का 1/3 हिस्सा खरीद किया है इस प्रकार से अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा किये गये निर्णत से अपीलार्थी के हकों पर कुठारा घात होकर नियमो से परे है इस प्रकार से नामान्तकरण सं. 2095 दिनांक 05.06.2009 निर्णित किया गया जो कायिल खारिज के है ।

7. अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बिना किसी विधिक जांच व आधार के अपीलार्थी के द्वारा क्रय की गई जमीन का कम हिस्सा दर्ज करने की स्वीकृति देकर अपीलाधीन नामान्तकरण निर्णित किया गया है जो तथ्यों से परे होकर प्रथम रूप अपास्त किये जाने योग्य है।

8. अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तकरण फैसल किया जो बिना किसी जांच पडताल किये मन मकसूद तौर पर बिना अपीलार्थी को सुने फैसल किया जो विधि विरूद्व एवं नैसृगिक सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं।

उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

9. विवादास्प्रद नामान्तकरण प्रथम दृष्टया ही विदित होता है पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के नाम सही नामान्तकरण दाखिल किया गया

Scanned by CamScanner

एवं जांच भू.अ.निरीक्षक द्वारा सही पाया गया उसके बाद से ही रजिस्टर्ड खत के द्वारा खरीद किये गये वैधान नामे पटवारी हल्का व गिदावर हल्का द्वारा नामान्तकरण दाखिल की कार्यवाही के विपरीत विवादित निर्णय पारित के पूर्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत टौंकवाड़ को अपीलार्थी को भी तलब किया जाकर मामले के तथ्यों की पूर्ण जानकारी की जाना चाहिये व अपीलार्थी को सुना जाकर विवादास्पद नामान्तकरण निर्णित किया जाना चाहिये था परन्तु न तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत टौंकरवाड के द्वारा अपीलार्थी को तलब किया गया एवं न ही सुना गया एवं न किसी साक्ष्य सबूत को पेश करने का मौका दिया गया । काननू के लाजमी प्रावधानो के अनुसार सम्बन्धित पक्षकरों को तलब किया जाकर पक्षकरों को सुनने के बाद ही नामान्तकरण निर्णित किया जाना चाहिये था । इस प्रकार से कानून की अनदेखी की जाकर विवादस्पद नामान्तकरण फैसल किया गया जो तथ्यों एवं विधि समवत नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

10.अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत टौंकरवाड़ द्वारा जो नामान्तकरण फैसल की कार्यवाही की गई उसमे कब्जे के बारे मे भी कोई जांच नही की गई अपीलार्थी के कब्जे की जांच की जाति तो अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा गलत नामान्तरकरण निर्णय की कार्यवाही नहीं की जाती कब्जे की सही जांच के अभाव मे की गई नामान्तकरण की कार्यवाही प्राथमिक रूप से अवेधानिक होकर काबिल निरस्त योग्य है जिससे उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है ।

11.अपीलार्थी को उक्त नामान्तकरण की जानकारी हाल ही दिनांक 20.07.2016 को अपने खाते की नकल वास्ते बैंक ऋण लेने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तब इस अवेध नामान्तकरण कार्यवाही की जानकारी मुझ अपीलार्थी को होने पर यह अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है । फिर भी न्यायिक प्रकिया के अधीन धारा 5 कानून मियाद के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र प्रस्तुत है।

12.अन्त में अंकित किया गया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण सं. 2095 आदेश दिनांक 05.06.2009 वाके ग्राम टौकरवाड़ तहसील हुरडा अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा फैसल किया गया उसे अपास्त किया जावें व अन्य दादरसी अपीलान्ट के हक मे हो वह भी प्रदान करायी जावें ।

उपखण्ड अधिकारी
गुढ़ागपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

13. प्रस्तुत अपील वाद जांच दर्ज रजिस्टर की जांकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिसेज तलब किये जाने पर रेस्पोंडेंट संख्या–01 से 04 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये । रेस्पोटेन्ट सं. 05 व 06 स्वयं उपस्थित हुये रेस्पोडेन्ट सं. 07 के वारिसान की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये रेस्पोडेन्ट सं. 8 वावजूद सुचना के गैर हाजिर रहे । उपस्थित रेस्पोडेन्ट के अधिवक्तागण के द्वारा जवाव का अवसर चाहने से प्रकरण जवाव/वहस मे नियत किया गया ।

14. प्रकरण आज लोक अदालत मे प्रस्तुत हुआ वकील अपीलार्थी उपस्थित हुये रेस्पोडेन्टगण वावजूद सुचना के अनुपस्थित रहे । वकील अपीलार्थी के द्वारा प्रकरण का लोक अलादत केम्प मे निस्तारण करने की इस्तदुआ करने पर उनकी वहस सुनी गई ।

15. वक्त वहस अपीलार्थी ने अपने अपील के कथनों को दोहराते हुये अन्त में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विना किसी जांच पडताल किये मन मकसूद तरीके से विधि विरूद्व आदेश पारित किया हैं। जो अपास्त योग्य हैं। तथा आगे कथन किया कि अपीलार्थी के द्वारा आराजी खसरा नम्वर 994 रकवा 18 वीघा 08 विस्वा सम्पूर्ण रकवे का 1/6 हिस्सा अर्थात विकेता छग्गू का 1/3 हिस्सा कय किया था । परन्तु गलत रूप से अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा आराजी जैर वहस का सम्पूर्ण रकवा 18 वीघा 08 विस्वा का 1/2 हिस्से का 1/6 हिस्सा गलत तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के नाम नामान्तकरण फैसल किया गया है जो विधि विरुद्ध होने से खारिज योग्य होने से अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जावें ।

16. मैंने वहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा हैं। पत्रावली मे उपलध ग्राम टोंकरवाड़ का विवादित नामान्तकरण सं. 2095 निर्णय दिनांक 05.06.2009 का अवलोकन किया उक्त नामान्तकरण आराजी खसरा नम्वर 994 रकवा 18 वीघा 08 विस्वा के खातेदार छग्गू वेवा चुन्नी तेली के द्वारा अपना निहित 1/2 हिस्से मे से 1/6 हिस्सा अपीलार्थी को विकय कर देने से पटवारी हल्का के द्वारा उक्त नामान्तकरण खोला जाकर वाद जांच गिरदावर हल्का के न्यायालय ग्राम पंचायत टोंकरवाड़ मे प्रस्तुत किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत टोंकरवाड़ के द्वारा उक्त नामान्तकरण को दिनांक 05.06.2009 को निर्णित किया गया जाकर खसरा नम्वर 994 रकवा 18 वीघा 08 विस्वा का 1/2 हिस्सा का 1/6 हिस्सा छग्गू वेवा चुन्नी तेली के

उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

यजाय श्यामु पत्नी मिठू तेली के नाम दर्ज करने के आदेश प्रसारित किये गये है । जो प्रथम दृष्टया ही गलत प्रतित हुआ है ।

17. चूंकि अपीलार्थी श्यामु पत्नी मिठू तेली के द्वारा उक्त यादग्रस्त आराजी नम्बर 994 रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा के सम्पूर्ण रकबे का 1/6 हिस्सा अर्थात विक्रेता छग्गू का 1/3 हिस्सा क्रय किया गया था । परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विक्रय पत्र का अवलोकन किये बिना ही अपने मन मनसूद तरिके से आराजी जैर बहस का 1/2 हिस्से का 1/6 हिस्सा का नामान्तकरण अपीलार्थी के पक्ष मे खोले जाने का निर्णय पारित किया गया है । जो विधि विरूद्ध है । अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह अपीलार्थी को व खातेदार विक्रेता छग्गू को सुनवाई का समुचित अवसर देते किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली के अनुसार किसी भी प्रकार की कोई जांच पडताल अथवा अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय पुनः नामान्तकरण की सुनवाई किया जाना न्यायहित में उचित समझता हैं। तदनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

—आदेश —

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत टौंकरवाड़ के नामान्तकरण संख्या– 2095 निर्णय दिनांक 05.06.2009 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार हुरडा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह स्वयं उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये । वाद सुनवाई विस्तृत विवेचन कर नव निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतू तहसीलदार हुरडा को दी जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 25.05.2017 को खुली लोक अदालत केम्प कोट टौंकरवाड़ पर सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner